

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/9

रीवा, दिनांक 18/02/2025

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत समाज विज्ञान संकाय अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

राजनीतिशास्त्र अध्ययन मण्डल

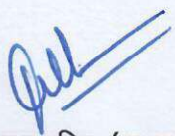
अधिनियम 28(2) एक	1.	रिक्त
28(2) दो	1.	डॉ. कमलभान सिंह, विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, सं.गां.स्मृ. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी(म0प्र0)
	2.	डॉ. हरिनारायण सिंह, विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, शास. महाविद्यालय, रामपुरबघेलान, जिला सतना(म0प्र0)
28(2) तीन	1.	रिक्त
28(2) चार	1.	डॉ. के.एन. मिश्रा, विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, शास. महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला सतना(म0प्र0)
	2.	डॉ. आर.पी. तिवारी, विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला रीवा (म0प्र0)
28(2) पाँच	1.	डॉ. संध्या शुक्ला प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग, शास. डा.र.सिंह महाविद्यालय, रीवा(म0प्र0)
	2.	डॉ. संकटा प्रसाद शुक्ला प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग, शास. डा.र.सिंह महाविद्यालय, रीवा(म0प्र0)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ. कमलभान सिंह को राजनीतिशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)